



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 2010/कार्तिक 3, 1932

No. 591]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2010/KARTIKA 3, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2010

सा.का.नि. 855(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का सं. 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के साथ लगाई जा रही अनुसूची में यथा निर्धारित कोलकाता-पत्तन-न्यास के न्यासी-बोर्ड द्वारा तैयार किए गए कोलकाता-पत्तन-न्यास कर्मचारी (चिकित्सा सेवा और उपचार) संशोधन विनियम, 2010 को एतद्वारा अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) संशोधन विनियम, 2010

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल "कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम, 1989" में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम—"कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी" (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) संशोधन विनियम, 2010" है।

2. ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

3. "कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम," अब से आगे "कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम," के नाम से जाना जाएगा।

4. "कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम," में:-

(i) जहां कहीं भी 'कलकत्ता' शब्द आएगा बदल कर 'कोलकाता' हो जाएगा।

(ii) विनियम 16, 17 तथा 18 निकाल दिए जाएंगे।

(ii) विनियम 19, 20 तथा 21 की संख्या बदल कर क्रमशः 16, 17 तथा 18 कर दी जाएगी।

[फा. सं. पी आर-12016/12/2005-पीई-1]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- "कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम, 1989" की मंजूरी दिनांक 9 जून, 1989 के सा.का.नि. 610 (अ) के तहत सरकार द्वारा दी गई तथा यह दिनांक 9 जून, 1989 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ।

तदुपरांत, उपर्युक्त विनियम चार बार संशोधित हुआ तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) में निम्न प्रकार प्रकाशित हुआ:-

प्रथम संशोधन : सा.का.नि. सं. 633(अ) दिनांक 28 सितंबर, 1993

द्वितीय संशोधन : सा.का.नि. सं. 169(अ) दिनांक
3 अप्रैल, 1998

तृतीय संशोधन : सा.का.नि. सं. 431(अ) दिनांक
13 जून, 2001

चतुर्थ संशोधन : सा.का.नि. सं. 811(अ) दिनांक
21 नवंबर, 2008 ।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2010

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Amendment Regulations, 2010 made by the Board of Trustees of Kolkata Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Kolkata Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Amendment Regulations, 2010

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989:—

1. **Short Title.**—These Regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Amendment Regulations, 2010.

2. They shall come into effect from the date of this Notification in the Official Gazette.

3. The Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment), Regulations be henceforth known as Kolkata Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations.

4. In the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations:—

(i) The word Calcutta wherever appearing will be replaced by Kolkata.

(ii) Regulations 16, 17 and 18 will be deleted.

(iii) Regulations 19, 20 and 21 will be renumbered as 16, 17 and 18 respectively.

NOTE:—The Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1989 were sanctioned by the Government vide G.S.R. 610(E) dated 9th June, 1989 and published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 9th June, 1989.

Subsequently, the aforesaid Regulations were amended four times and were published in the Gazette of India (Extraordinary) as follows:—

1st Amendment : G.S.R. No. 633 (E) dated 28th September, 1993.

2nd Amendment : G.S.R. No. 169 (E) dated 3rd April, 1998.

3rd Amendment : G.S.R. No. 431(E) dated 13th June, 2001.

4th Amendment : G.S.R. No. 811(E) dated 21st November, 2008.

[F.No.PR-12016/12/2005-PE-I]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.